अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

2/48/2021 .... तारीख रजू........................

सूरज बनाम विक्रम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.04.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 13, 17, 458, 459, 460, 6, 8, वाके ग्राम जाडला तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 22.06.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 22.06.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
22/6/21	...आज कोविड उप०/P.O. ...हुक्म ...Covid... पत्रावली दिनांक ... 9.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14-9-21	राजकीय अवकाश होने के कारण 15/9/21 कुराना कोरोना उप०/P.O. हुक्म ... पत्रावली दिनांक 14 ... को पेश हो। (हस्ताक्षर) जवाब / ... पेश किया ...	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज
17.9.2021	पत्रावली आज वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तलब की गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर स्थगन आदेश की अवधि बढ़ाये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र स्वी. कि ही स्थगन आदेश की अवधि नियत तारीख 14.12.21 तक बढ़ाई जाती है पत्रावली नियत दिनांक को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०
11/10/21	पत्रावली आज मुलाहिजे के लिए पेश हुई। वकील वादी/प्रार्थी ने अपने मूल वाद को not press कर दिया है प्रार्थना पत्र चलाये जाने का कोई औचित्य है अतः प्रार्थना-पत्र को वकील वादी/प्रार्थी के not press के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नतीजा शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो बाद तकमील [illegible] के लिए [illegible] रहे। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

Advocate
[illegible]